141/16

आवेदक द्वारा श्री सुबोध श्रीवास्तव अधिवक्ता। अनावेदकगण द्वारा श्री के०के० शुक्ला अधिवक्ता। प्रकरण आज नेशनल लोक अदालत में इस खण्डपीठ के समक्ष प्रस्तृत हुआ।

उभयपक्षों की ओर से समझौता करना व्यक्त किया गया। आवदेक एवं अनावेदकगण की ओर से समझौता आवेदनपत्र पूर्व से ही पेश है, आज उभयपक्ष और उनके अधिवक्ताओं ने व्यक्त किया कि पक्षकारों के मध्य समझौता हो गया है, आवेदक ने अनावेदक , से न्यायालय, के बाहर पूर्व में ही समझौते के तहत निश्चित हुई 10,000 — रूपये की धनराशि प्राप्त कर ली है, इसलिए अब कोई लेनदेन शेष नहीं रहा है और वे उक्त प्रकरण को आगे नहीं चलाना चाहते है, उभयपक्षों के मध्य हुए लिखित समझौते एवं उनके द्वारा आज रवेच्छापूर्वक राजीनामा व्यक्त करने पर समझौता स्वीकार किया गया, आवेदक की पहचान श्री सुबोध श्रीवास्तव आवेदक अधिवक्ता द्वारा की गई, अनावेदकगण की पहचान श्री कें०कें० शुक्ला अनावेदक अधिवक्ता द्वारा की गई, समझौते के तहत कोई लेनेदन शेष नहीं बताया गया।

अतः प्रकरण की कार्यवाही समझौते के आधार पर समाप्त की जाती है।

Order Sheet [Contd]

Case No. of 20 Date of Signature of Order or Order or proceeding with Signature of Presiding Officer Parties or Proceeding Pleaders where necessary आदेश की प्रति पक्षकारों को निःशुल्क प्रदान की जावे। प्रकरण विधिवत नस्तीबद्ध कर अभिलेखागार में जमा किया जावे। पीठासीन अधिकारी, खण्डपीठ कं-20, गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश (के०सी० उपध्याय) (के०पी० राठौर) (सदस्य) (सदस्य) खण्डपीठ कं-20, खण्डपीठ कं-20. गोहद जिला भिण्ड गोहद जिला भिण्ड